

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)
टेलीफैक्स-0141-2222805, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- 9486

जयपुर, दिनांक:- 29-6-17

बैठक सूचना

डी.बी.सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक रास्तों, सड़कों, फुटपाथों एवं अन्य स्थानों से स्थाई/अस्थायी अतिक्रमण हटाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना कराये जाने हेतु सभी सम्भागीय मुख्यालयों पर व्यापारिक संगठनों, औद्योगिक संगठनों, सब्जी मण्डी/कृषि उपज मण्डी के पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श हेतु माननीय मंत्री नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस क्रम में निम्नानुसार बैठक आयोजित की जानी है :-

क्र.सं	सम्भागीय मुख्यालय का नाम	तिथि	समय
1.	अजमेर	06.07.2017	प्रातः 11.30 बजे
2.	जोधपुर	06.07.2017	सांय 6.00 बजे
3.	उदयपुर	07.07.2017	दोपहर 2.30 बजे

उपरोक्त बैठकें सम्भागीय मुख्यालय के जिला कलक्टर सभागार में आयोजित की जायेगी जिनके आयोजन एवं समन्वय की जिम्मेदारी संबंधित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) की होगी तथा इन बैठकों में सम्भाग मुख्यालय के जिला कलक्टर, नगरीय निकाय के समस्त अधिकारीगण एवं महापौर/उप महापौर एवं अतिक्रमण निरोधक समिति के सदस्य तथा स्थानीय व्यापार मण्डलों, औद्योगिक संगठनों, सब्जी मण्डी/कृषि उपज मण्डी के पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित पक्षों को संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा नोटिस जारी कर आमंत्रित किया जायेगा।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
जयपुर, दिनांक:- 29-6-17

क्रमांक:- 9487-9505

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. महापौर/उप महापौर, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर नगर निगम राजस्थान।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार।
7. जिला कलक्टर अजमेर/जोधपुर/उदयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर।
10. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव